कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

उप क्षेत्रीय कार्यालय,ठाणे
प्लॉट: ए-12/1, एम आई डी सी, एल बी एस मार्ग,
वागले इस्टेट डाकघर के पास, ठाणे (प.), महाराष्ट्र-400604
Sub Regional Office, Thane
Plot No.-A-12/1, MIDC, LBS Marg, Next to Wagle Estate Post Office, Thane(W), Maharashtra-400604
Telephone- 022-69074700 to 799
Email: dir-thane@esic.nic.in, Website: -esic.nic.in

# परिपत्र Circular

विषय : **माननीय संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली के पृष्ठ संख्या 32 से 44 का परिचालन।**
Subject: **Circulation of Page No. 32 to 44 of Inspection Questionnaire of Hon'ble Parliamentary Committee on Official Language.**

उपर्युक्त विषय के संबंध में, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे की सभी अधीनस्थ शाखाओं/शाखा कार्यालयों/औषधालय-सह-शाखा कार्यालयों को सूचित किया जाता है कि माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विभिन्न अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के मुख्यालयों, आंचलिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी निरीक्षण करती रहती है।

On the subject cited above, all the subordinate Branches/Branch Offices/DCBOs of Sub Regional Office, Thane are informed that the third Sub-Committee of Honorable Parliamentary Committee on Official Language carries out inspection of the implementation of official language in the Headquarters, zonal and Regional Offices of various subordinate/attached offices of the Ministry of Labour and Employment.

मुख्यालय के निदेशानुसार माननीय संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली के पृष्ठ संख्या 32 से 44 आपके सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु संलग्न हैं। कृपया इन पृष्ठों में दी गई परिभाषाओं एवं निर्देशों का संज्ञान लें एवं तदनुसार राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

As per the directions of the Headquarters, page no. 32-44 of the inspection questionnaire of the Honorable Parliamentary Committee on Official Language are attached for your information and compliance. Please take note of the definitions and instructions given in these pages and ensure implementation of Official Language accordingly.

कृपया इसे सभी सहकर्मियों एवं अधीनस्थों के संज्ञान में लाएं, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें एवं अनुपालन सुनिश्चित करें।

Please bring this to the notice of all colleagues and subordinates, encourage them to achieve the goals prescribed and ensure compliance.

यह परिपत्र संयुक्त निदेशक (प्र.) महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This circular is issued with the approval of joint Director (I/c.).

Digitally signed by GEETANJALI ANTIL
Date: 15-04-2026 17:49:02

संलग्न/Enclosed:यथोपरि/As Above

(गीतांजलि अंतिल Geetanjali Antil)
सहायक निदेशक Assistant Director (रा.भा.OL)

प्रतिलिपि Copy To :-

1. महानिदेशक (राजभाषा), क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
   Director General (OL), ESI Corporation, Panchdeep Bhavan, CIG Marg, New Delhi for information.
2. उप निदेशक (राजभाषा), पश्चिम अंचल,क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई।
   DD(OL), West Zone, Regional Office, Mumbai.
3. सभी उप/सहायक निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे।
   All Deputy/Assistant Directors, Sub Regional Office, Thane.
4. सभी शाखा अधीक्षक/सा.सु.अधिकारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे।
   All Branch Superintendents/SSOs, Sub Regional Office, Thane.
5. सभी डीसीबीओ प्रभारी/शाखा प्रबंधक, अधीनस्थ डीसीबीओ/शाखा कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे।

All DCBO Incharges/Branch Managers, subordinate DCBOs/Branch Offices, Sub Regional Office, Thane.

6. सभी शाखाएं/शाखा कार्यालय/औषधालय सह शाखा कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे।

   All Branches/Branch Offices/DCBOs, Sub Regional Office, Thane.

7. वेबसाइट प्रबंधक/आईसीटी शाखा, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

   Website Manager/ICT Branch, Sub Regional Office, Thane to upload on website.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110 002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
दूरभाष/Phone: 011-23234092, 23234093
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

**संख्या : ए-49/14/1/2005-रा.भा.** **दिनांक: २० .01.2022**

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त(रा.प्र.अ.), राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रभारी)/उप निदेशक(प्रभारी) क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम।
3. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/निदेशक(चिकित्सा) नोएडा।
4. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल।
   सभी संकायाध्यक्ष, क.रा.बी.निगम चिकित्सा/दंत्य/नर्सिंग महाविद्यालय।
5. क रा बी निगम मुख्यालय के सभी अधिकारी/ कर्मचारी
6. वैबसाइट सामाग्री प्रबन्धक को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस पत्र को क रा बी निगम की वैबसाइट पर अपलोड किया जाए |

विषय: **संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण प्रश्नावली में दिए गए अनुदेशों के अनुपालन के संबंध में |**

महोदय/महोदया,

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त पत्र संख्या ई-11012/08/2021-रा.भा.नी., दिनांक 01.11.2021 के संबंध में **मुख्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या ए-49/14/1/2005-रा.भा., दिनांक 01.12.2021 का कृपया संदर्भ लें** | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निदेशानुसार संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली के पृष्ठ संख्या 32 से 44 में दिए गए अनुदेश अनुपालन हेतु कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच प्रत्येक वर्ष परिचालित किए जाने हैं |

इसी को ध्यान में रखते हुए उक्त **अनुदेशों की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की गई है | अनुरोध है कि इनका अनिवार्यत: अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु इन्हें कार्यालय/अस्पताल/शाखा के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच प्रत्येक वर्ष परिचालित किया जाए | इसके लिए इन्हें स्कैन कर सभी को ईमेल करें व प्राप्ति सूचना ईमेल से लेकर रिकॉर्ड रखें |**

संलग्नक: यथोपरि |

20/1/2022
(श्याम कुमार)
संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

# अनुबंध - 1

## परिभाषाएं

1. **हिन्दी में प्रवीणता** - किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है यदि उसने-

   (क) मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी को माध्यम के रूप में अपनाकर उत्तीर्ण की है; अथवा

   (ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समकक्ष या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को उसने एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था; अथवा

   (ग) वह यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है।

2. **हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान** - किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यदि उसने-

   (i) मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की है; अथवा

   (ii) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग के पदों के संबंध में निर्धारित कोई निम्नस्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है; अथवा

   (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्धारित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

   (iv) यदि वह यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

# अनुबंध – II

## प्रश्नावली में उल्लिखित राजभाषा अधिनियम/नियम तथा राजभाषा नीति संबंधी सरकारी आदेशों से लिए गए संगत उद्धरण

**राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) से उद्धरण**

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही-

(i) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में/के या नियंत्रण में/के किसी नियम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं;

(ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए;

(iii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में/के या नियंत्रण में/के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्रारूपों, के लिए प्रयोग में लाई जाएगी ।

**राजभाषा अधिनियम**, 1963 **की धारा** 3 (3) **के अनुसार सामान्य आदेश में निम्नलिखित सम्मिलित है-**

(1) ऐसे सभी आदेश, निर्णय या अनुदेश जो विभागीय प्रयोग के लिए हों और जो स्थायी प्रकार के हों;

(2) ऐसे सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, नोटिस आदि जो सरकारी कर्मचारियों के समूह अथवा समूहों के संबंध में हों या उनके लिए हों;

(3) ऐसे सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हों या सरकारी कर्मचारियों के लिए हों।

**राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976**

<u>नियम 2</u> (च) "क" क्षेत्र से बिहार, झारखण्ड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तरांचल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

(छ) "ख" क्षेत्र से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य और चंडीगढ़, दमन एवं दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

ज) "ग" क्षेत्र से खण्ड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं।

<u>नियम 8</u> **केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना**

(1) कोई कर्मचारी किसी फाईल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा ।

<u>नियम 10 (2)</u> यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

<u>नियम 10 (4)</u> केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के अस्सी प्रतिशत कर्मचारियों/अधिकारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नही रह जाएगा ।

**नियम 11 मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि -**

(1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे ।

(3) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

**नियम 12 अनुपालन का उत्तरदायित्व –**

(1) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वहः-

(i) यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और;

(ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें ।

(2) केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

## राजभाषा नीति संबंधी आदेश

**(1) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 24.11.95 के का. ज्ञा. सं0 12021/5/95-रा.भा. (कार्या0 II) से उद्धरण-मैनुअलों, फार्मों, कोडों आदि की हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी (डिगलॉट रूप में) छपाई ।**

**1.** मैनुअल, फार्म, कोड आदि हिन्दी-अंग्रेजी (डिगलॉट रूप में) द्विभाषी छपवाए जाएं । फार्मों आदि के हिन्दी शीर्षक पहले दिए जाएं और अंग्रेजी शीर्षक बाद में । हिन्दी अक्षरों के टाइप अंग्रेजी से छोटे न हों ।
**2.** सभी मंत्रालय/विभाग अपने नियंत्रणाधीन प्रेस तथा अन्य कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी करें कि वे कोई भी सामग्री केवल अंग्रेजी में छापने के लिए स्वीकार न करें ।
**3.** शहरी विकास मंत्रालय की ओर से प्रकाशन निदेशालय को अनुदेश है कि कोड/मैनुअल आदि को छपाई के लिए तभी स्वीकार किया जाए जब वे द्विभाषी रूप में हों ।

[संदर्भ : प्रश्नावली के भाग -**II** की मद सं.- **5**]

**(2) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 26 फरवरी, 1988 के का. ज्ञा. सं0 14034/15/87-रा.भा.( क.1) से उद्धरण - अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना ।**

1. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार के "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/कम्पनियों आदि द्वारा "क" क्षेत्र में स्थित राज्यों या संघ क्षेत्रों या उनके अधीन कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाना आवश्यक है ।

2. राजभाषा नियम, 1976 में की गई उपर्युक्त व्यवस्था का अनुपालन सही ढंग से तभी हो सकता है जबकि क्षेत्र की राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से मूल पत्राचार हिन्दी में किया जाए और उनसे कोई पत्र अंग्रेजी में भी आए तो उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाए ।

*[संदर्भ : प्रश्नावली के भाग - III की मद सं. 1 ( ख) ]*

*(3)* राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *21* जुलाई, *1992* के का.ज्ञा. सं. *12024/2/92*-रा.भा. *(ख-2) -4* से उद्धरण - हिन्दी में पत्राचार ।

*1.* संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चतुर्थ खण्ड में सिफारिश की है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं तथा मूल पत्राचार में राजभाषा नियमों में वर्णित अनिवार्यताओं का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाए और "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ भी हिन्दी में पत्राचार को बढाया जाए । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा और "ख" क्षेत्र को भेजे जाने वाले तार देवनागरी में भेजे जाएं और "ग" क्षेत्र में भी हिन्दी में तार भेजने की शुरूआत की जाए ।

2. समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/ विभागों, आदि से अनुरोध है कि वे अपने यहां तथा अपने सभी सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/ उपक्रमों/ निगमों आदि में हिन्दी पत्राचार को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएं ताकि वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके ।
[संदर्भ : प्रश्नावली के भाग -III की मद सं. - 2 ( *ग* ) (iii)]

**(4)** राजभाषा विभाग**,** गृह मंत्रालय के दिनांक *21* जुलाई**,** *1992* के का.ज्ञा. सं. *12024/2/92*-रा.भा. *(* ख*-2)-6* से उद्धरण - रजिस्टरों और सेवा पुस्तिकाओं के शीर्षक और प्रविष्टियां ।

*1.* संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चतुर्थ खण्ड में यह सिफारिश की है कि - *(1)* सभी कार्यालयों में उपलब्ध रजिस्टरों और सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं के शीर्षक द्विभाषी होने चाहिए और उनमें प्रविष्टियां हिन्दी में होनी चाहिए । *(2)*क और ख क्षेत्रों में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही लिखे जाएं ।

*2.* समिति की उक्त सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि *(1)*क व ख क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रखे जाने वाले रजिस्टरों/ सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में ही की जाएं क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियां यथासंभव हिन्दी में की जाएं । *(2)*क तथा ख क्षेत्रों में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही लिखे जाएं ।

*[*संदर्भ *:* प्रश्नावली के भाग *- III* की मद सं. *3(i)* तथा *17 (*क*)]*

*(5)* राजभाषा विभाग**,** गृह मंत्रालय के दिनांक *6* अप्रैल**,** *1992* के का.ज्ञा. सं. *12024/2/92*-रा.भा. *(* ख*-2)* से उद्धरण - जांच बिन्दु स्थापित करना ।

*1.* संसदीय राजभाषा समिति ने अपने चतुर्थ खण्ड में यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों एवं उनके सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/ निगमों आदि में राजभाषा नियम, *1976* के नियम *12* के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान राजभाषा अधिनियम, *1963* और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुबंधों के समुचित अनुपालन के लिए जांच बिन्दु बनाने के संबंध में अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक पालन करें और जांच बिन्दुओं को प्रभावशाली ढंग से स्थापित करें ।

2. मंत्रालयों/विभागों से संसदीय राजभाषा समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि वे राजभाषा नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने एवं हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित जांच बिन्दु स्थापित करे:-

**(क) लिफाफों पर हिन्दी में पते लिखना**

प्रेषण अनुभाग को जांच बिन्दु बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि क तथा ख क्षेत्रों को जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते देवनागरी लिपि में ही लिखे जाएं ।

*(ख)* सेवा पंजी में प्रविष्टियां

जिस अनुभाग में कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां करने का काम होता है उसके प्रभारी अधिकारी की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएं। इस प्रकार की प्रविष्टियां "ग" क्षेत्र में यथासंभव हिन्दी में की जाएं/ इस बात की पड़ताल सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियां करते समय/ उस पर हस्ताक्षर करते समय कर ली जाए ।

[*संदर्भ* : *प्रश्नावली के भाग* -III *की मद सं.* - 3 (iii) और 17(*ख*)]

*(6)* राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *22* अप्रैल, *2008* के संकल्प सं. *21034/18/2008*-रा0भा0 *(*प्रशि*0)* से उद्धरण - हिन्दी प्रशिक्षण ।

*1.* राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *04* नवम्बर, *1991* के संकल्प संख्या *13015/1/91*-रा0भा0 *(*घ*)* का आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति ने अब यह आदेश दिया है कि सभी क्षेत्रों अर्थात क, ख एवं ग क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण वर्ष *2015* के अंत तक पूरा कर लिया जाए ।
*[*संदर्भ *:* प्रश्नावली के भाग-*III* की मद सं. -5*]*

*(7)* राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *06* मई, *1992* के का. ज्ञा. सं. *12012/7/92*-रा.भा. *(*ख*-1)* से उद्धरण - हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण ।

*1.*संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के तीसरे खण्ड में यह सिफारिश की है कि सभी प्रकार का प्रशिक्षण चाहे वह अल्पावधि का हो या दीर्घावधि का, हिन्दी माध्यम से सम्पन्न होना चाहिए ताकि हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण लेने के बाद कर्मचारियों के लिए हिन्दी में ही मूल कार्य करना सुविधाजनक हो ।

*2.* समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने संबंधी सभी निर्देशों को पूरी तरह कार्यान्वित कराएं तथा इसकी सूचना राजभाषा विभाग को भिजवाएं ।

*[*संदर्भ *:* प्रश्नावली के भाग - *III* की मद सं. - *6 (*घ*) (i)]*

*(8)* राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *17* जुलाई, *1990* के का. ज्ञा. सं. ***13015/1/90***-रा.भा. *(घ)* से उद्धरण - हिन्दी टाइपिंग/ हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में कार्य किया जाना ।

*1.* संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में सिफारिश की है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि में प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों की सेवाओं का हिन्दी में काम करने के लिए पूरा लाभ उठाया जाए ।

*2.* समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/ विभागों से यह अनुरोध है कि वे देवनागरी टंकण व आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित करें तथा उन्हें हिन्दी टाइपराइटर, उपयुक्त संदर्भ साहित्य आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

[ संदर्भ *:* प्रश्नावली के भाग - *III* की मद सं. 9 (i)]

*(9)* राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *5* अप्रैल, *1989* के का. ज्ञा. सं. ***13035/3/88***-रा.भा. *(ग)* से उद्धरण हिन्दी पदों का सृजन ।

हिन्दी के न्यूनतम पदों के मानकों पर पुनः विचार किया गया है ताकि राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए अपेक्षित न्यूनतम पदो के मानकों को और अधिक युक्तिसंगत बनाया जा सके जिससे कि अनावश्यक पदों की रचना न की जाए पर साथ ही राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और आवश्यक पदों का सृजन भी आसानी से किया जा सके।

[संदर्भ : प्रश्नावली के भाग- *III* की मद सं.11 *(घ)*]

***(10)* राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *26* नवम्बर, *1990* के का. ज्ञा. सं. *13017/3/90*-रा.भा. *(ग)* से उद्धरण - विधि के क्षेत्र में मूल प्रारूप हिन्दी में काम करना तथा फार्मों को द्विभाषी बनाया जाना ।**

*(क)* समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम की धारा *3 (3) (iii)* के अन्तर्गत आने वाले संविदाओं और करारों तथा लाइसेंसों, परमिटों, नोटिसों और टेंडरों के सभी फार्मों को हिन्दी में अनूदित कराने तथा द्विभाषी रूप में छपवाने की यथाशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ये हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किये जा सकें और भरे जा सकें ।

*2.* सभी मंत्रालय/ विभाग कृपया उपर्युक्त के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

*(ख)* संसदीय राजभाषा समिति ने मूल प्रारूपण के बारे में यह सिफारिश की है कि विधि के क्षेत्र में मूल प्रारूपण हिन्दी में किया जाए ताकि हिन्दी में बनी विधियों का हिन्दी में निर्वचन कर निर्णय हिन्दी में लिखे जाएं ।

*[*संदर्भ *:* प्रश्नावली के भाग - *III* की मद सं. *12 (*क*) (iv)]*

*(11)* राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *17* जुलाई, *1992* के का. ज्ञा. सं. *20034/53/92*-रा.भा.(अ.वि.) से उद्धरण - केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में सहायक/ संदर्भ साहित्य, शब्दावलियों और शब्दकोशों आदि की व्यवस्था तथा हिन्दी पुस्तकों की खरीद ।

*1.* संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के चतुर्थ खण्ड में सिफारिश की है कि हिन्दी में काम करने का वातावरण बनाने और राजभाषा हिन्दी में मूल काम करने को सुकर बनाने के लिए सहायक हिन्दी पुस्तकों जैसे- अंग्रेजी-हिन्दी और हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोष, सहायक और संदर्भ साहित्य, तकनीकी शब्दावलियां, तकनीकी साहित्य, ललित साहित्य आदि का पूरा प्रचार किया जाए और इनका नि:शुल्क वितरण भी किया जाए । साथ ही पुस्तकों की खरीद के लिए नियत कुल धनराशि का *50%* हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकें खरीदने के लिए खर्च किया जाए । राजभाषा विभाग द्वारा इस प्रकार की हिन्दी की उपयोगी पुस्तकों का पता लगाने की प्रक्रिया निरन्तर चलाई जानी चाहिए और उनकी सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय आदि उनके अनुसार अपने पुस्तकालयों के लिए हिन्दी पुस्तकें खरीद सकें ।

*2.* संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कृपया उपर्युक्त आदेशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और की गई कार्रवाई की सूचना राजभाषा विभाग को भी भिजवाई जाए ।

*[* संदर्भ *:* प्रश्नावली के भाग - *III* की मद सं. *13* व *14]*

*(12)* राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *16* फरवरी, *1988* के का. ज्ञा. सं. *14012/6/87*-रा.भा.(ग) से उद्धरण - अधीनस्थ सेवाओं और गैर-तकनीकी पदों की भर्ती परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का ऐच्छिक प्रयोग ।

1. इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि "ख" क्षेत्र में अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों में तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालय तथा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्व वाले सभी सरकारी उपक्रमों, बैंकों आदि की सेवाओं में और पदों पर सीधी भर्ती के लिए क्षेत्रीय या स्थानीय आधार पर ली जाने वाली सभी परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी के ऐच्छिक प्रयोग की अनुमति उसी प्रकार से दी जाए जिस प्रकार 6 फरवरी, 1976 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार क क्षेत्र में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों के लिए दी जा रही है ।

2. केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों से अनुरोध है कि इस निर्णय को अपने सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के तथा सरकारी उपक्रमों, बैंकों आदि के ध्यान में ला दें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

[ संदर्भ : प्रश्नावली के भाग - III की मद सं. 16 (*क*) (4)]

*(13)* राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *2* जून, *1992* के का. ज्ञा. सं.*13034/37/97*-रा.भा. *(ग)* से उद्धरण - भर्ती के लिए साक्षात्कार में हिन्दी का विकल्प ।

1. संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की है कि भर्ती संबंधी विज्ञापनों, विवरण-पत्रों तथा साक्षात्कारों के लिए उम्मीदवारों को भेजे जाने वाले निमंत्रण पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हों और उनमें न केवल यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाए कि उम्मीदवार साक्षात्कार में हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता है बल्कि उसे लिखित रूप में यह सूचना देने के लिए भी कहा जाये कि वह किस भाषा का माध्यम अपनाना चाहता है, ताकि चयन बोर्ड द्वारा उसका साक्षात्कार उसी भाषा में लिया जाए । समिति ने यह भी सिफ़ारिश की है कि साक्षात्कार लेने वाले चयन बोर्ड का गठन इस प्रकार किया जाए कि उसके सदस्यों को हिन्दी का भी ज्ञान हो।

2. सभी मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त पैरा दो एवं पैरा तीन में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में उपरोक्त निर्देश लाएं तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करें ।

[ संदर्भ : प्रश्नावली के भाग - III की मद सं. - 16 *ख*)]

**(14)** *राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक* **21** *जुलाई,* **1992** *के का. ज्ञा. सं.* **12024/2/92**-*रा.भा.* **(***ख***-2-3)** *से उद्धरण - राजभाषा कार्यान्यन समितियों का गठन एवं उनकी बैठकें ।*

1. संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चतुर्थ खण्ड में यह सिफारिश की है कि प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यालय में, चाहे उनमें कार्यरत स्टॉफ की संख्या 25 से अधिक हो या कम, अनिवार्य रूप में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाए और कार्यालयाध्यक्ष को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाए ।

2. समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध है कि उपर्युक्त जानकारी अनुपालनार्थ अपने सभी सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/ निगमों आदि के ध्यान में ला दें । सभी मंत्रालयों/ विभागों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि अपने यहां एवं अपने सभी सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों आदि में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की वर्ष में 4 बैठकों (प्रत्येक तिमाही में एक) का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित करायें ।

[संदर्भ : प्रश्नावली के भाग - III की मद सं. 18 ]

*(15)* राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *3* सितम्बर, ***1979*** के का. ज्ञा. सं. ***12027/2/79***-रा.भा.***(ख-1)*** से उद्धरण - नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के कार्यों का विस्तार ।

*1.* गृह मंत्रालय *(*राजभाषा विभाग*)* के तारीख *22* नवम्बर, *1976* के का. ज्ञा. सं. *1/14011/12/76*-रा.भा. *(*क*-1)* के अधीन ये निदेश जारी किए गए थे कि उन सभी नगरों में जहां केन्द्रीय सरकार के *10* या इससे अधिक कार्यालय हैं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई जाए । नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी टाइपराइटिंग तथा हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण, देवनागरी लिपि के टाइपराइटरों की उपलब्धि आदि के संबंध में अनुभव होने वाली सामान्य कठिनाईयों के बारे में चर्चा की जाती है और नगर के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनसे भी परस्पर लाभ उठाया जाता है । प्रारंभ में ये समितियां हिन्दी भाषी क्षेत्रों तथा गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब के नगरों में बनाई गई हैं ।

***2.*** ऐसा देखा गया है कि समितियों की बैठकें तो वर्ष में एक से अधिक बार की जाती हैं**,** लेकिन कई नगरों में इनकी बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं । यह निर्णय किया गया है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य रखी जाएं ।

*3.* नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के मुख्यतः निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे *:-*

*1.* राजभाषा अधिनियम/नियम और सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और हिन्दी के प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा*;*

*2.* नगर के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में किए जाने वाले उपायों पर विचार*;*

*3.* हिन्दी के संदर्भ साहित्य, टाइपराइटरों, टाइपिस्टों, आशुलिपिकों आदि की उपलब्धि की समीक्षा*;*

*4.* हिन्दी, हिन्दी की टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण से संबंधित समस्याओं पर विचार ।

*[* संदर्भ *:* प्रश्नावली के भाग - *III* की मद सं. *19]*

*(16)* राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *28* मई, *1993* के का. ज्ञा. सं. *20034/53/93*-रा.भा. *(अ.वि.)* से उद्धरण - हिन्दी कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों तथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन। राजभाषा अधिनियम, *1963* की धारा *4* के अनुसरण में गठित संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खण्ड-*4* के अन्तर्गत उपर्युक्त विषय पर निम्नलिखित संस्तुतियां की गई हैं :-

*(क)* अधिकारियों/ कर्मचारियों की मनोवृत्ति बदलने हेतु और उन्हें राजभाषा-नीति की व्यापक जानकारी कराने हेतु समय-समय पर संगोष्ठियां, सम्मेलन, कार्यशालाएं आदि आयोजित की जायें।

*(ख)* प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग वर्ष में एक बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित करें ।इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों/बैंकों/संस्थानों आदि से अनुरोध है कि वे संसदीय राजभाषा समिति द्वारा की गई उक्त संस्तुतियों पर अनुपालनात्मक कार्रवाई करें।

*[* संदर्भ *:* प्रश्नावली के भाग - *III* की मद सं. *20* व *22 (ख)]*

*(17)* राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *20* अप्रैल, *1992* के का. ज्ञा. सं. *14025/2/91*-रा.भा.*(घ)* से उद्धरण - हिन्दी कार्यशालायें आयोजित करना ।

*1.* उपर्युक्त विषय पर संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन *(खण्ड-4)* में यह सिफारिश की है कि उनके प्रतिवेदन के तीसरे खण्ड में इस संदर्भ में की गई सिफारिशों के अनुरूप अगले पांच वर्षों के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने की झिझक दूर करने के लिए नियमित रूप से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाये और ऐसी कार्यशालाओं में हिन्दी जानने वाले प्रत्येक कर्मचारी को वर्ष में कम से कम एक बार इनमें भाग लेकर हिन्दी में मूल रूप में काम करने के अभ्यास का अवसर मिले ।

*2.* सभी मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध है कि संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन *(खण्ड-4)* में इस संदर्भ में की गई सिफारिश के अनुसरण में राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक *31.12.1991* में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें । कृपया इसकी जानकारी अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/नियंत्रणाधीन निगमों/निकायों को भी दें तथा इससे संबंधित प्रगति राजभाषा विभाग को भी दी जाये।

*[* संदर्भ *:* प्रश्नावली के भाग - *III* की मद सं. *21]*

*(18)* राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *17* जुलाई *1992* के का.ज्ञा. सं. *20034/53/92*-रा.भा. *(अ.वि.)* से उद्धरण - सरकारी प्रकाशनों आदि का द्विभाषी रूप में प्रकाशन ।

*1.* राजभाषा अधिनियम, *1963* की धारा *4* के अनुसरण में गठित संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन *(खण्ड-4)* में उपर्युक्त विषय में निम्नलिखित संस्तुति की गई है :-

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संगठनों आदि द्वारा केवल अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि द्विभाषी रूप में भी प्रकाशन निकाले जाएं । हिन्दी प्रकाशनों की मुद्रित संख्या अंग्रेजी प्रकाशनों की तुलना में कम न हो और द्विभाषिक प्रकाशनों में हिन्दी के पृष्ठों की संख्या अंग्रेजी के पृष्ठों की संख्या से कम न हो और हिन्दी में नए मौलिक प्रकाशन निकाले जायें ।

*2.* इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, *1976* के नियम *11* में दिए गए प्रावधान के अनुसार प्रक्रिया संबंधी सभी साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी *(डिग्लाट)* रूप में यथास्थिति मुद्रित, साइक्लोस्टाइल और प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त राजभाषा अधिनियम, *1963 (*यथा संशोधित *1967)* की धारा *3 (3)* में प्रावधान है कि सभी प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही निकाले जाएं ।

3. इस परिप्रेक्ष्य में कृपया संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुति पर किए गए निर्णय का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और आवश्यक जांच बिन्दु भी निश्चित कर दिए जाएं ताकि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित प्रकाशन डिग्लाट फार्म में ही छपें और अन्य कोई भी प्रकाशन न तो केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाए और न ही उसके हिन्दी रूप की मुद्रण संख्या अंग्रेजी रूप की मुद्रण संख्या से कम हो । ये आदेश कृपया अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों और आयोगों आदि को अनुपालन के लिए पृष्ठांकित कर दिए जाएं और इसकी जानकारी इस विभाग को भी भिजवाने की व्यवस्था की जाए ।
[ संदर्भ : प्रश्नावली के भाग - III की मद सं. 23]

**(19)** राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *17* जुलाई, *1996* के का. ज्ञा. सं. टी/*14011/1/96*-रा.भा.(नी.-*1)* से उद्धरण - गृह पत्रिकाओं/सूचना पत्रों को और अधिक उपयोगी तथा प्रभावशाली बनाना ।

1. उपर्युक्त विषय पर विचार करने के उपरांत अब यह निर्णय लिया गया है कि जहां पत्रिकाओं को केवल अंग्रेजी में छपवाया जा रहा है वहां यह आवश्यक होगा कि गृह पत्रिकाएं और सूचना-पत्र द्विभाषी (हिन्दी अंग्रेजी*)* रूप में छपवाएं जायें । द्विभाषी गृह पत्रिकाओं और सूचना-पत्रों में हिन्दी व अंग्रेजी के पृष्ठों की संख्या बराबर होनी चाहिए और ये एक ही जिल्द में, एक ही नाम से, छापे जाने चाहिये । जिल्द के शीर्ष व डिजाइन द्विभाषी होने चाहिए । इनमें संगठन के कार्य संबंधी लेखन तथा सूचनाएं दोनों ही भाषाओं में छापी जानी चाहिये ।

2. ऐसे क्षेत्रों में जहां हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त स्थानीय भाषाओं का प्रचलन अधिक है, वहां से पत्रिकाएं त्रिभाषी रूप में छापी जा सकती हैं । त्रिभाषी पत्रिकाएं भी एक ही जिल्द में छापी जाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके शीर्ष व डिजाइन त्रिभाषी हों तथा तीनों भाषाओं *(*क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी तथा अंग्रेजी*)* में मुद्रित पृष्ठों की संख्या लगभग बराबर हो ।

[संदर्भ : प्रश्नावली के भाग - III की मद सं.-23(ड.)]

*(20)* राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *26.08.92* के का.ज्ञा. सं. *14034/4/92*-रा.भा. *(*क-*1)* से उद्धरण - टेलीफोन निर्देशिकाओं को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करने की अनिवार्यता ।

दूरसंचार विभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली टेलीफोन निर्देशिकाओं के हिन्दी संस्करण भी अनिवार्य रूप से साथ ही प्रकाशित किए जाएं । विभिन्न नगरों के दूरसंचार कार्यालय क और ख क्षेत्रों में टेलीफोन निर्देशिकाओं के हिन्दी संस्करण अंग्रेजी संस्करणों से पहले जारी करें । एक कूपन, जैसा कि अब लगाया जाता है, वैसा ही अलग रंग के कागज में, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, तैयार करके निर्देशिका के दोनों रूपों में लगाया जाए, जिससे यह पूछा जाए कि उपभोक्ता अगली टेलीफोन डाइरेक्टरी हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में प्राप्त करना चाहेगा । क और ख क्षेत्रों में प्रारंभ से ही दोनों संस्करण समान संख्या में अथवा हिन्दी *:* अंग्रेजी *40 : 60* के अनुपात में प्रकाशित किए जाएं और ग क्षेत्र में प्रारंभ में हिन्दी *:* अंग्रेजी *30 : 70* के अनुपात में प्रकाशित किए जाएं *(*और बाद में आवश्यकता के अनुसार ग क्षेत्र में भी दोनों संस्करणों की संख्याएँ समान की जा सकती हैं ।*)*

[ संदर्भ : प्रश्नावली के भाग - III की मद सं. 23 (*ञ* )]

**(21)** राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक **24** अप्रैल, **1978** के का. ज्ञा. सं. टी/**20034/1/78**-रा.भा0(क-**1**) से उद्धरण - संसदीय राजभाषा समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री की समीक्षा और कमियां दूर करना ।

राजभाषा अधिनियम, **1963** की धारा **4** के अधीन गठित संसदीय राजभाषा समिति की उपसमितियों द्वारा निरीक्षण के दौरान समिति की प्रश्नावली के उत्तर में संबंद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना संबंधित मंत्रालय/विभाग उस कार्यालय से मंगवाकर उसकी स्वयं की समीक्षा करे और कमियां दूर करने के लिए कदम उठाए जाएं । उप-समिति के द्वारा कार्यालयों के निरीक्षणों के समय मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि को वहां उपस्थित रहना चाहिये जिससे कमियां दूर करने के लिए कार्रवाई की जा सके ।
**[संदर्भ : प्रश्नावली के भाग - III की मद सं. - 24]**

**(22)** राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *16.12.2004* के का. ज्ञा. सं. *12015/101/2004*-रा.भा.*(तक)* से उद्धरण - सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को इंटरनेट के माध्यम से हिन्दी प्रशिक्षण दिलाने के बारे में ।

1. संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खण्ड-6 की संस्तुति संख्या 11.10.28 : सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाये जाने की आवश्यकता है । प्रशिक्षण के लिए विशेष वीडियो/आडियो कैसेट भी तैयार करवाई जा सकती है ।

2. आदेश : समिति की यह सिफारिश स्वीकार्य है । इंटरनेट के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाये । राजभाषा विभाग समुचित कार्यवाही करे ।

3. राजभाषा विभाग के पोर्टल पर प्राज्ञ स्तर तक नि:शुल्क स्वयं शिक्षण पाठ्यक्रम लीला हिन्दी प्रबोध, लीला हिन्दी प्रवीण एवं लीला हिन्दी प्राज्ञ अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम, तमिल एवं तेलुगू माध्यम से उपलब्ध हैं । राजभाषा विभाग के पोर्टल का पता है **www.rajbhasha.nic.in** है।

4. निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से यह अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण दिलायें ।

**[ संदर्भ : प्रश्नावली के भाग - III की मद सं. 5 (*क*) (IV)]**